

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

26/18 तारीख रज 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का वधैचपुरी बनाम
धरम पुत्र जगदीश जोति 25/18 निवासी समसपुर तहसील

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 20/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री धरम ने ग्राम समसपुर को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.60 किस्म चरागाह फसल खरीफ संवत् 20 74 में गोहू कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 0.60 किस्म चरागाह वाले ग्राम समसपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 9.60 का 50 गुणा 480 रु शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गोहू को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर ग/व के पृष्ठ नं० 56 पर
 वर्ष 2017-18 की राशि 480 रु
 की जमा का
 दिनांक 5/3/18 तहसील महवा लेखाकार
 तहसील-महवा